राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

रामाकिशन तोषनीवाल : बनाम : ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स वगै.

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या: **58/1984**

अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

*** * * * ***

निर्णय दिनांक : 6 जनवरी, 2006

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री टी.आर.राठी की
ओर से श्री आर.के.राजवंशी,
रेस्पोंडेण्ट्स के अधिवक्ता श्री गोपाल राज सिंघवी।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.2.1984 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर एडमिट की गई और रेस्पोंडेण्ट्स को नोटिस जारी किए गए व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया।

प्रकरण के तथ्यों में विस्तृत रूप से नहीं जाते हुए मात्र इतना ही लिखना काफी है कि वादी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सोजती गेट ब्रांच, जोधपुर की ओर से यह दावा फर्म मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स, वल्लभदास पुत्र

रामाकिशन, रामाकिशन पुत्र कालूराम, आर.के.तोषनीवाल पुत्र मंगलचन्द, वी.के.फोफलिया पुत्र रामाकिशन के विरूद्ध रू.22,289.63 पैसे की वसूली का पेश किया और डिक्री चाही। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर दिनांक 22.2.1984 को दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया गया, जिसकी नाराजगी में यह अपील है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से यही बहस की गई कि यह अपील प्रतिवादी संख्या 4 आर.के.तोषनीवाल द्वारा पेश की गई है जिसमें यह बताया कि रामाकिशन तोषनीवाल इसमें गारण्टर था न कि मुख्य ऋणी। वाद-पत्र में प्रतिवादी संख्या 4 को भी मुख्य ऋणी बताया गया है। इस प्रकार मुख्य ऋणी की जिम्मेदारी और गारण्टर की जिम्मेदारी समान भी है और पृथक्-पृथक् होती है,मगर निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की जिम्मेदारी गारण्टर की हैसियत से है। उनकायह भी तर्क रहा कि गारण्टर की जिम्मेदारी मात्र दस हजार रूपए तक की राशि की ही थी, पूर्ण दावे की राशि तक नहीं थी। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 रामाकिशन तोषनीवाल गारण्टर बना है। उनका तर्क है कि दस हजार रूपए और ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक की जिम्मेदारी होना बताई गई है, तमाम राशि पर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। इस प्रकार अव्वल में वाद में प्रतिवादी संख्या 4 को मुख्य ऋणी बताया गया, जबकि उसके द्वारा गारण्टी दी गई थी। मयाद में दावा लाने के लिए मात्र प्रतिवादी संख्या 2 ने ही बैलेन्स कनफरमेशन, जो 30.12.1975, 13.5.1976, 3.3.1977 एवं 15.3.1978 को किए गए, प्रतिवादी संख्या 2 ने ही उपरोक्त राशि का एकनोलेज

किया था जो पत्र 28.10.1976 का है और बकाया रकम 300/- प्रतिमाह अदा करने का एकनोलेज किया था। अत: दावा मयाद में होना पाया गया है। उनका तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 4 के जवाब पेश नहीं होने के आधार पर यह निर्णय अवश्य किया गया है, मगर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करते वक्त इस बिन्दु पर भी विचार करना चाहिए कि प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध, जो गारण्टर मात्र है, जिसके द्वारा कोई एकनोलेज नहीं किया गया और मात्र मुख्य ऋणी द्वारा एकनोलेज करने से मयाद बढाई जा सकती है अथवा नहीं। अत: उनका तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध पुन: निर्णय करने के लिए पत्रावली को प्रतिप्रेषित किया जावे या इस न्यायालय द्वारा ही इस बिन्दु को निर्णीत किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स का तर्क है कि जहां तक प्रतिवादी संख्या 4 का मुख्य ऋणी लिखा गया, मात्र टाईपिंग भूल दावे में थी। रामाकिशन तोषनीवाल और बालकिशन फोफलिया दोनों गारण्टर थे और दस हजार रूपए मय 13 प्रतिशत ब्याज की जिम्मेदारी बनती है, मगर उन्होंने यह दायित्व लगातार चलने वाला माना है और इसके अन्तिम पैरा की ओर ध्यान आकर्षित किया :

> "My/our liability under these presents shall be a continuing liability and shall not be considered satisfied by payment of any sum or sums of money towards the said accounts but shall extend to cover all moneys due to your Bank notwithstanding such payments.
>
> Even though 3 years may have passed from the date thereof, my/our liability under these presents shall continue as long as the liability of the customers subsists and is alive"

उनका यह भी तर्क है कि गारण्टर की जिम्मेदारी मुख्य ऋणी के समान जोईण्ट एण्ड सेवरल है, इसे नहीं नकारा जा सकता और जो भी मुख्य ऋणी में रकम बकाया रहेगी उसके लिए भी गारण्टर की जिम्मेदारी मानी गई है और मयाद निकलने के बावजूद भी यदि मुख्य ऋणी की जिम्मेदारी है तो गारण्टर की जिम्मेदारी भी निरन्तर रहेगी। इस प्रकार उनका तर्क है कि मुख्य ऋणी यदि मयाद को बढ़ाता है तो गारण्टर की जिम्मेदारी, जो गारण्टी डीड लिखा गया है, उससे पूर्णतया बनती है। इस प्रकार उनका तर्क है कि प्रतिवादीगण को जवाबदावे के अवसर दिए गए थे और बावजूद अवसर दिए जाने के जवाबदावा पेश नहीं हुआ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय किया गया है इसमें हस्तक्षेप के आधार नहीं है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वाद आरम्भ में 18.3.1981 को दर्ज हुआ, जो योग्य अपर जिला न्यायाधीश को अन्तरित किया गया और प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए। अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या 4 की तामील हो गई थी और जवाबदावे के लिए 20.7.1981 से ही समय चाहा जा रहा था। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की तामील हुई व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 5 के समन वापस जारी किए गए व आदेश 6 नियम 5 सी.पी.सी. की दरख्वास्त भी पेश हुई, जिसका निस्तारण भी किया गया। इसके अलावा आदेश 6 नियम 2 सी.पी.सी. का प्रार्थना-पत्र भी पेश हुआ, जिस पर भी आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से बाद में एक प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 3 सी.पी.सी. का पेश किया, जिस पर दिनांक 2.1.1984 को आदेश दिया गया। इसके बाद 27.1.1984 जवाबदावे के लिए तारीख दी गई और उस

दिन 100/- रूपए हर्जाने पर अवसर दिया गया। उसके बाद 22.2.1984 को कोई जवाब पेश नहीं होने पर आदेश 8 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा डिक्री किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं आए और दिनांक 14.7.1983 को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है और प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करने पर यह दावा डिक्री किया गया है। इस प्रकार आदेश 8 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधान स्पष्ट है कि यदि जवाबदावे के अवसर देने के बाद भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो न्यायालय प्रकरण का निर्णय करने को सक्षम है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा यह तर्क उठाया गया कि आर.के.तोषनीवाल इस प्रकरण में गारण्टर था, जबकि दावे में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की जमानत दी, लिखा गया है और प्रतिवादी संख्या 4 करे मुख्य ऋणी बताया गया है। इस प्रकार यह निर्णय स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या 4 की जिम्मेदारी बतौर मुख्य ऋणी है अथवा गारण्टर के। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 2.1.1984 को आदेश 1 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी सं.4 द्वारा पेश किया गया था जिसमें उसके द्वारा यह एतराज उठाया गया था कि वाद-पत्र के पैरा 5 में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की जमानत देने का कथन किया है। किन्तु वादपत्र के शीर्षक में केवल पांच प्रतिवादीगण के नाम ही लिखे गए हैं, प्रतिवादी संख्या 6 का नाम अंकित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 की आयु तथा पता नहीं दिया गया है और नाम भी अधूरा दिया गया है। वादी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 व

6 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के प्रतिभू हैं। अत: प्रतिवादी संख्या 6 आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार बनाया जावे और दावा खारिज किया जावे। इसकी बहस सुनकर दिनांक 2.1.1984 को आदेश दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 6 का उल्लेख भूल से कर दिया गया है और प्रतिवादी चाहे तो जवाबदावे में एतराज ले सकता है। वास्तव में यह दावे में टाईपिंग त्रुटि ही प्रतीत होती है। प्रतिवादी संख्या 4 इस प्रकरण में प्रतिभू ही था। फर्म मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स की ओर से वल्लभदास व रामाकिशन के द्वारा केश क्रेडिट एग्रीमेण्ट पर दस्तखत किए गए थे और प्रतिभूति देने वाले रामाकिशन तोषनीवाल व बालकिशन फोफलिया थे।

इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क चलने योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि अपीलाण्ट की जिम्मेदारी किस हैसियत से थी। उनका यह तर्क कि प्रकरण को पुन: अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे और प्रतिवादी संख्या4-अपीलाण्ट की जिम्मेदारी किस हैसियत से है, बाबत स्पष्ट कराया जावे। मगर इस अपील न्यायालय के समक्ष तमाम रेकर्ड है और अपीलाण्ट रामाकिशन तोषनीवाल द्वारा प्रतिभू देने का दस्तावेज 11.12.1973 को तहरीर व तकमील किया है जिसमें दस हजार रूपए की राशि और उसके ऊपर ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जो भी होगा, जिम्मेदारी मानी गई है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि मात्र दस हजार रूपए तक की जिम्मेदारी थी उससे अधिक नहीं थी, यह तर्क भी रेकर्ड के अनुसार मानने योग्य नहीं रहता, क्योंकि जो गारण्टी डीड लिखा गया है और जिसके सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने बहस की है, मेरे द्वारा तमाम

गारण्टी डीड का अवलोकन किया गया। इसके अन्तिम दो पैरा में स्पष्ट रूप से गारण्टर की जो भी जिम्मेदारी है, के बारे में लिखा गया है और मयाद के बारे में भी लिखा गया है कि जब तक मुख्य ऋणी की जिम्मेदारी रहेगी, उसकी जिम्मेदारी भी मानी गई है। दस हजार रूपए का ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से भी होना माना गया है। इसके अलावा केश क्रेडिट लिमिट इससे अधिक होने के सम्बन्ध में भी बैंक को स्वतंत्रता दी गई है और उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने आपको प्रतिभू पत्र में जिम्मेदार माना है, तथ्यों को स्वीकार किया है और मुख्य ऋणी के समान ही जिम्मेदारी होना मानी गई है और निरन्तर चलने वाली जिम्मेदारी मानी गई है।

इस प्रकार मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को से कतई सहमत नहीं हूं कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। जो भी तर्क उन्होंने उठाए हैं, रेकर्ड के अवलोकन से अपीलाण्ट की जिम्मेदारी बतौर प्रतिभू के ही है और उसकी जिम्मेदारी ऋणी के समान ही मानी गई है और दस हजार रूपए मय ब्याज 13 प्रतिशत से वह इनकार भी नहीं कर सकता। यह निरन्तर रहने वाली जिम्मेदारी मानी गई है। जब तक ऋणी की जिम्मेदारी रहेगी, उसकी भी जिम्मेदारी निरन्तर चलेगी, माना गया है। इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को से मैं सहमति नहीं रखता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय जवाबदावा पेश नहीं करने पर आदेश 8 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत किया है उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस अपील के निर्णय में मैं इतना ही लिखना आवश्यक समझता हूं कि प्रतिवादी संख्या 4 की जिम्मेदारी बतौर गारण्टर के रहेगी, जो मुख्य ऋणी के

समान होगी व पृथक्-पृथक् भी होगी।

फलस्वरूप, इस अपील में मैं कोई बल नहीं पाता, जो मय खर्चा खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा